25/11/2021 पत्रावली आज पेश हुई। वकीलाप फरीकेन उपस्थित। इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18-3-2021 के संदर्भ में तहसीलदार रानीवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त, जिस पर बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव बहस तथ्यों पर मनन किया। तहसीलदार रानीवाड़ा ने प्रार्थीगण की खातेदारी मे कम आराजी का भुमिधारी ने अपने जवाब मे स्वीकार किया, किन्तु राजस्व रेकर्ड प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के इन्द्राज खसरा नम्बर व रकबा अनुसार अंकित है। एंव नक्शा केस तदनुसार बना हुआ है,

PTO

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	इसलिये प्रार्थीगण की पूर्व खातेदारी आराजी में से 0.26 हैक्टेयर कम होने का कारण द्वितीय भू-प्रबन्धन अधिकारी की कार्यवाही के दौरान त्रुटि हुई है। इस त्रुटि को अभिधारी ने भी स्वीकार किया है व राजस्व रेकर्ड भी इसकी पुष्टि करता है।	
	तहसीलदार रानीवाड़ा ने इस न्यायालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 404 दिनांक 19.4.2021 के संदर्भ में उनके पत्रांक / राजस्व / कोर्ट / 1083 दिनांक 8-11-2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया। इस प्रत्युत्तर में ग्राम चिमनगढ़ के खसरा नम्बर 412 व 414 जुमले रकबा 3.62 हैक्टेयर है, जो नये व पुराने रेकर्ड की जांच अनुसार खसरा नम्बर 410 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 411 रकबा 4.48 हैक्टेयर में 0.11 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज हुई है जो प्रार्थीगण उक्त आराजी अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त आराजी को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित किया गया। जिसमें प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 412 ... में 0.11 हैक्टेयर की आराजी सम्मिलित किये जाने की पुख्ता अभिशंषा भूअभिधारी ने की गई है।	
	उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा	
	-PTO-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण की शेष 0.15 हेक्टेयर भूमि
कम हुई है व खसरा नम्बर 406
मे दर्ज होना भूमिधारी ने अवगत कराया
है।

उक्त विवेचन अनुसार एवं
भूमिधारी तहसीलदार की सहमति
एंव जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण
के खसरा नम्बर 412 रकबा 1.56
हेक्टेयर में अप्रार्थीगण के खसरा
नम्बर 411 में से रकबा 0.11 कम किया
जाकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 412
रकबा 1.56 हेक्टेयर में सम्मिलित किया
जाना न्यायसंगत है। क्योकि उक्त त्रुटि
टिवीप भू-प्रबन्धन कार्यवाही के दौरान
की गई है। जिनको पूर्व के रेकर्ड में
किसी प्रकार की हेरा-फेरी बिना
खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये
किये जाने का क्षेत्राधिकार नही है।

* आदेश *

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त
विवेचन के अनुसार स्वीकार किया जाता
है तथा आदेश पारीत किया जाता है कि
मौजा चिमनगढ़ के खसरा नम्बर 412
रकबा 1.56 हेक्टेयर में प्रार्थीगण/खाता
1 से 10 के अप्रार्थीगण खसरा नम्बर
411 रकबा 4.48 हेक्टेयर में से 0.11

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:45 IST
Reason: SelfAttested

— PTO —

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

Scanned with CamScanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	हैक्टेयर कम की जाकर प्रार्थीगण के खाते में प्रस्तावित रकबा 0.11 प्रार्थीगण के खाते में सम्मिलित किया जाता है। जिनके अनुसार कमी-पेशी निम्न प्रकार रहेगी -	

	प्रार्थीगण	अप्रार्थी सं. 1 से 10
खसरा नम्बर	412	411
रकबा	1.56 है.	4.48 है.
कमी पेशी रकबा	+0.11	-0.11
कमी पेशी बाद संशोधित रकबा	1.67	4.37 है.

तदनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित आराजी खसरा नम्बर 412 में नक्शा लट्ठा मे तरमिम किये जाने के आदेश तहसीलदार रानीवाड़ा को दिये जाते है। तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश की पालना हेतु निर्णय व नक्शा ट्रेस की प्रति भेजी जावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज से इजलास [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा

Scanned with CamScanner